

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(वाणिज्यिक शाखा)

जोधपुर डिस्कॉम

क्रमांक/जोविनिनि/प्रनि/मुअ(सी.एंड.पी)/अ.अ.(वा)/प्रे.2629 दिनांक 02.03.2015

# विद्युत आपूर्ति की दरें

(टैरिफ – 2015)

(01 फरवरी, 2015 से प्रभावी)



## विद्युत आपूर्ति की दरें (टैरिफ) 2015

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-62 एवं 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों, राविविआ (विद्युत दरों हेतु नियम व शर्तें) अधिनियम, 2014 के अधिनियम 5 एवं 11 के साथ पठित, का उपयोग करते हुए, याचिका संख्या राविविआ/458/2014 एवं 447/2014 पर दिनांक 20 फरवरी, 2015 को पारित आदेश के अनुसरण में, जोधपुर विद्युत वितरण निगम (इसके आगे जोधपुर डिस्कॉम कहलाएगा) अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए, इसके आगे विहित की गयी खुदरा आपूर्ति टैरिफ अनुसूची के अनुसार एतद्वारा टैरिफ (विद्यमान दर अनुसूचियों को प्रतिस्थापित करते हुए) विहित करता है:-

- (I) **संक्षिप्त शीर्षक:-** ये टैरिफ "विद्युत आपूर्ति हेतु टैरिफ – 2015" कही जाएंगी।
- (II) **प्रारम्भण:-** ये टैरिफ 1 फरवरी, 2015 से प्रभावी होंगी तथा आयोग के अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी।
- (III) **प्रयोज्यता की सामान्य शर्तें:-** ये टैरिफ, निम्नांकित सामान्य शर्तों पर लागू होंगी:-
  - 1) ये टैरिफ जोधपुर डिस्कॉम द्वारा जारी विद्युत आपूर्ति हेतु निबन्धन व शर्तें-2004 के प्रावधानों या समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रभावी आशोधनों तथा नियमों व विनियमों या उनके अधीन अन्य पश्चात्वर्ती संशोधनों या आशोधनों, जब तक वे प्रयोज्य हैं, के अधीन होंगी।
  - 2) जब तक अन्यथा सहमति न हो या विनिर्दिष्ट न किया जाए, ये टैरिफ केवल एक बिन्दु की आपूर्ति तथा एकल वोल्टेज पर लागू होंगी। अन्य बिन्दुओं या अन्य वोल्टेज पर आपूर्ति अलग से विपत्रित की जाएगी।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- 3) यदि किसी महीने में ऊर्जा का उपभोग शून्य है, तो केवल स्थायी प्रभार ही प्रभारित किए जाएंगे। कोई भी प्रभार या सरकारी लेवी, स्थायी प्रभार राशि के अतिरिक्त होगा। यदि कोई उपभोक्ता किसी प्रोत्साहन का हकदार है, तो स्थाई प्रभार की राशि में से ऐसी प्रोत्साहन की राशि कम कर दी जायेगी।
- 4) ये दरें/प्रभार, विद्युत शुल्क, करों तथा राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए गए अन्य प्रभारों के अतिरिक्त होंगी।
- 5) इन टैरिफ के अन्तर्गत आपूरित विद्युत का उपयोग, सुसंगत टैरिफ अनुसूची के अन्तर्गत स्वीकार्य प्रयोजन के अलावा नहीं किया जाएगा।
- 6) इन टैरिफों की प्रयोज्यता के प्रयोजनार्थ उपभोक्ताओं को आगे वर्णित 'टैरिफ संरचना' में उपलब्ध करवायी गयी सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के सन्दर्भ में श्रेणीबद्ध किया गया है। तदनुसार, कोई भी उपभोक्ता, जो उक्त टैरिफ संरचना में वर्णित सेवा के अनुसार किसी एक श्रेणी में आता है, वह विद्युत की आपूर्ति हेतु निबन्धन एवं शर्तें -2004 तथा इसके पश्चात्पूर्ति संशोधनों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों तथा अनुसूची एनडीएस/एलटी-2 तथा एमएल/एलटी-7 के 18.65 कि.वा. (25 एचपी) से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले तथा एमपी/एलटी - 6 में आवृत उपभोक्ताओं, जो मांग के आधार पर विपत्रण का विकल्प दे सकते हैं, को छोड़कर किसी भी अन्य सेवा श्रेणी में प्रभारित किए जाने का हकदार नहीं होगा, चाहे उसका विद्युत का उपभोग किए जाने का प्रयोजन या आपूर्ति का तन्त्र या वोल्टेज या सम्बद्ध भार कुछ भी हो।
- 7) "उपभोक्ता" से आशय उस व्यक्ति से है, जिसे स्वयं के उपयोग हेतु जोधपुर डिस्कॉम द्वारा विद्युत आपूर्ति की गयी है तथा इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी परिसर को विद्युत की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ कुछ समय के लिए जोधपुर डिस्कॉम के नेटवर्क से जोड़ा गया है।
- 8) "व्यक्ति" (Person) में कोई भी कम्पनी या निगमित निकाय या संस्था या व्यष्टिकों (Individuals) का निकाय चाहे निगमित हुआ है या नहीं अथवा कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल है।
- 9) "बीपीएल" उपभोक्ता वह व्यक्ति है, जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी बीपीएल का कार्ड धारक है।
- 10) "लघु घरेलू उपभोक्ता" वे उपभोक्ता हैं, जिनका पिछले वित्तीय वर्ष का औसत मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है।
- 11) "सम्बद्ध भार" से अभिप्राय: होगा -
  - (i) "सम्बद्ध भार" से अभिप्राय: उपभोक्ता परिसर पर ऊर्जा उपभोगी समस्त उपकरणों, जिन्हें एक साथ परिचालित किया जा सके, की कुल रेटेड क्षमता से है।
  - (ii) टैरिफ के प्रयोजनार्थ हार्स पावर में सम्बद्ध भार "ब्रेक हार्स पावर" होगा। सम्बद्ध भार को किलोवाट में रूपान्तरण हेतु ब्रेक हार्सपावर को 0.746 से गुणा किया जायेगा।
- 12) संविदा मांग (Contract demand) से आशय होगा:-
  - (i) के.वी.ए. में मांग, जिसके लिए जोधपुर डिस्कॉम शासी निबन्धन एवं शर्तों के अध्यक्षीन समय-समय पर विद्युत आपूर्ति का विशिष्ट अभिवचन देता है।
  - (ii) विद्यमान उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, जहां जोधपुर डिस्कॉम द्वारा इस प्रकार का कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं दिया गया है, उपभोक्ता का स्वीकृत सम्बद्ध भार ही संविदा मांग मानी जाएगी।
  - (iii) ऐसे मामलों में जहां संविदा मांग कि.वा. में दी गई है, टैरिफ के प्रयोजनार्थ, संविदा मांग का विनिर्धारण औसत पावर फैक्टर 0.90 मानते हुये किया जायेगा।
- 13) विपत्रण मांग माह के दौरान वास्तविक अभिलिखित अधिकतम मांग या संविदा मांग की 75%, जो भी उच्चतर हो, विपत्रण मांग मानी जाएगी।
- 14) "अधिकतम मांग" या "मांग" से अभिप्राय उपभोक्ता के आपूर्ति बिन्दु पर महीने के दौरान अधिकतम उपयोग की 30/15 मिनट (मीटर की समाकलन अवधि के अनुसार) की निरन्तर अवधि के दौरान परिदत्त औसत के.वी.ए. से है।
- 15) 25 हार्स पावर (18.65 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम मांग सूचक (MDI) लगाना अनिवार्य है।
- 16) अधिकतम मांग सूचक (MDI) के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में दो से अधिक बार अधिकतम मांग 50 के.वी.ए से अधिक पाये जाने पर

एलटी से एचटी आपूर्ति में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे मामले में, किसी वित्तीय वर्ष में तीसरी बार मांग 50 केवीए से अधिक होने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता को नोटिस दिए जाने की दो माह की अवधि के अन्दर-अन्दर 11 के.वी. पर आपूर्ति लेनी होगी, जिसमें विफल होने पर उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा।

- 17) "पावर फैक्टर" से अभिप्राय: वोल्ट एम्पीयर घण्टों के अनुरूप कुल वाट घण्टों के अनुपात में विनिर्धारित किए गए मासिक औसत पावर फैक्टर से है।
- 18) 'हेचरीज' (Hatcheries) वे स्थान हैं जहाँ अण्डों को चूजों हेतु सेया जाता है तथा इसमें अण्डे सेने की मशीन व उत्पत्तिशाला (हेचर) भी शामिल है।
- 19) "पॉल्ट्री फार्म" (Poultry Farm) वे हैं, जहां मुर्गियों का पालन अण्डे या मांस अथवा दोनों के लिए किया जाता है।
- 20) "मौसमी कारखाने" (Seasonal Industries) से अभिप्राय उन कारखानों से है, जो अपनी उत्पादन की प्रकृति के कारण वर्ष के किसी भाग में निरन्तर अधिकतम (आठ) 8 माह तक कार्य करते हैं, जैसे बर्फ कारखाने, शीतागार एवं बर्फ कारखाने, ओटाई एवं दबाव (जीनिंग एण्ड प्रेसिंग) कारखाने, तेल मिलें, तेल परिशोधन इकाइयां, चावल मिलें, ईट उत्पादन उद्योग, मृदु पेय उद्योग, दूध डेयरियां, जो केवल घी या स्कीमर दूध पाउडर का उत्पादन करती हों लेकिन तरल दूध का उत्पादन करने वाली डेयरियों को छोड़कर, चीनी मिलें (बशर्ते कि उस कनेक्शन से मद्य निर्माणशाला (डिस्टीलरी) सहित किसी अन्य को विद्युत की आपूर्ति नहीं की जाती है) तथा ऐसे अन्य कारखाने जिन्हें, निम्नांकित शर्तों के अधधीन, जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जा सके।
  - (i) नए उद्योग के मामले में प्रथम वर्ष के दौरान विपन्नण के प्रयोजनार्थ मौसमी अवधि तथा गैर - मौसमी अवधि, कनेक्शन दिए जाने के समय यथाधिसूचित मानी जाएगी। पश्चात्पूर्ती वर्षों के लिए अधिकतम आठ माह की मौसमी अवधि, कनेक्शन दिए जाने के समय यथाधिसूचित मानी जाएगी, जिसे मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व, एक माह के नोटिस द्वारा आशोधित किया जा सकता है।

- (ii) मौसमी अवधि, उपभोक्ता से मौसम प्रारम्भ होने के न्यूनतम एक माह पूर्व नोटिस पर आधारित होगी। ऐसे किसी नोटिस के अभाव में उनकी गैर- मौसमी (न्यूनतम चार माह) अवधि की समाप्ति के बाद, मौसम अवधि का प्रारम्भ उस मास से निरन्तर अधिकतम 8 माह के लिए माना जाएगा। तथापि, मौसमी उपभोक्ता लिखित प्रार्थना द्वारा अपनी मौसमी अवधि को एक माह पूर्व से ही चालू कर सकता है, परन्तु इस प्रकार की प्रार्थना तीन वर्ष की अवधि में एक बार ही स्वीकार की जाएगी।
- (iii) गैर -मौसमी अवधि (एक वर्ष में न्यूनतम चार माह) के दौरान "स्थायी प्रभार" सामान्य दर के 25 प्रतिशत पर प्रभारित किये जायेंगे, जबकि ऊर्जा प्रभार वास्तविक उपभोग के आधार पर प्रभारित किये जायेंगे।
- (iv) गैर- मौसमी अवधि के किसी भी माह में उपभोग, विगत मौसमी अवधि के औसत मासिक उपभोग का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि गैर-मौसमी अवधि के दौरान किसी भी माह में यह सीमा पार हो जाती है, तो उस माह का पूरा विद्युत उपभोग गैर-मौसमी स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, ऊर्जा प्रभारों की सामान्य दर से डेढ़ गुना प्रभारित किया जाएगा।

#### 21) "स्थायी प्रभार" में रियायत :-

- (i) उपभोक्ता का सम्बन्ध विच्छेद रहने की अवधि के दौरान स्थायी प्रभार उपाबन्ध प्रयोज्य नहीं होगा। सम्बन्ध विच्छेद होने की तिथि को विद्यमान बकाया के भुगतान किए जाने तक 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूला जाएगा। यह रियायत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य होगी।
- (ii) एचटी आपूर्ति उपभोक्ताओं के बारे में, चाहे उपभोक्ता की श्रेणी कोई भी हो, विद्युत कटौती/विद्युत के उपयोग पर प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान, स्थाई प्रभारों में, महीने के दौरान औसत विद्युत कटौती (पावर कट) तथा प्रतिबन्धों के आधार पर यथानुपात कमी अनुज्ञात की जाएगी

- 22) ईंधन अधिभार (FS) :- ईंधन अधिभार का परिकलन यहां नीचे दिए गए सूत्र से किया जाएगा :

ईधन अधिभार = सी/ई रू./किवाघ  
 जहां सी (लाख रुपये में) = {(पिछले त्रैमास के दौरान विद्युत क्रय के सभी स्त्रोतों की भारित औसत परिवर्तनीय लागत रूपये प्रति किलोवाट घंटा में-प्रचालनाधीन वर्ष के लिए टैरिफ आदेश के अन्तर्गत यथानुमोदित विद्युत क्रय के सभी स्त्रोतों की रू./किवाघ में आधार भारित औसत परिवर्तनीय लागत) X पिछले त्रैमास के दौरान सभी स्त्रोतों से लाख इकाइयों में सदृश विद्युत क्रय}

ई (लाख यूनिट में) = पिछले त्रैमास के दौरान विक्रय की गई ऊर्जा (मीटर्ड + अनुमानित)।

#### टिप्पणी:

- (i) इस सूत्र के अंतर्गत उल्लिखित त्रैमास, वित्तीय त्रैमास के अनुरूप होंगे, यथा पहला त्रैमास (अप्रैल से जून), दूसरा त्रैमास (जुलाई से सितंबर), तीसरा त्रैमास (अक्टूबर से दिसंबर) और चौथा त्रैमास (जनवरी से मार्च)।
- (ii) गैर-अनुसूचित विनिमय (UI) तथा जल आधारित उत्पादन एवं अन्य गैर-अनुमोदित क्रयों के कारण विद्युत क्रय लागत में विचलन ऊर्जा अधिभार समायोजन के अंतर्गत आवृत्त नहीं होगा।
- (iii) एकल भाग टैरिफ वाले उत्पादन केन्द्रों/विद्युत क्रय स्त्रोतों के लिए इस सूत्र के अन्तर्गत समायोजनार्थ टैरिफ का 1/3 स्थाई प्रभारों के रूप में तथा टैरिफ का 2/3 ऊर्जा प्रभारों के रूप में माना जाएगा।
- (iv) विद्युत क्रय की लागत और मात्रा संदत्त विपत्रों/ पिछले त्रैमास के दौरान प्राप्त क्रेडिटों, बिना उस समयावधि पर ध्यान दिए, जिससे वह संबंधित है, पर आधारित होगी और इसमें पिछली अवधि का बकाया या प्रतिदाय, यदि कोई है, जिन पर पूर्व में विचार नहीं किया गया था, शामिल होंगे।

- 23) **खुले अभिगमन** उपभोक्ताओं को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (खुले अभिगमन हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियमों के अनुसार व्यवहृत किया जायेगा।
- 24) **कृषि नीति** (राजस्थान सरकार द्वारा यथानुमोदित) के प्रावधान भी कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए प्रयोज्य होंगे।
- 25) विद्युत विपत्र का 5000/- रू. (पांच हजार) तक का डिस्कॉम पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। कोई भी ऑनलाइन संव्यवहार प्रभार उद्ग्रहित नहीं किये जायेंगे। तथापि, विपत्र की राशि 5000/- (पांच हजार) रू. से अधिक का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड कम्पनी/सेवा प्रदाता को संदत्त वास्तविक प्रभार सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा वहन किये जायेंगे। विद्युत विपत्र की किसी भी राशि का भुगतान इन्टरनेट/ऑन लाइन बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ईसीएस तथा इलेक्ट्रानिक विपत्र का भुगतान (ईबीपीपी) के माध्यम से किये जाने पर संव्यवहार प्रभार डिस्कॉम द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 26) इन टैरिफों की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में किसी भी संदेह की दशा में मामला जोधपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जाएगा। यदि मामले का हल नहीं होता है तो इसे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका मामले पर निर्णय अंतिम तथा उपभोक्ता पर बाध्यकारी होगा।

## (टैरिफ) संरचना

### भाग - I

#### (एल. टी. टैरिफ)

सामान्य: इस भाग में एल टी आपूर्ति एकल फेज/तीन फेज टैरिफ अनुसूचियां अन्तर्विष्ट हैं।

#### (I) घरेलू सेवा (अनुसूची डीएस/एलटी-1)

##### (ए) प्रयोज्यता

आवासीय उपभोक्ताओं को वास्तविक (Bonafide) घरेलू उपभोग जैसे प्रकाश, पंखे, रेडियो, टेलीविजन, हीटरों, कुकरों, रॉफ्रिजरेटरों, पम्पों, ग्राइंडरों तथा अन्य घरेलू उपकरणों हेतु उपलब्ध होगी।

समाज कल्याण विभाग या अन्य दूसरे सरकारी प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत/से मान्यता प्राप्त मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु शिक्षण केन्द्र, किशोर गृह संस्था, अनाथाश्रम, कुष्ठ रोगी गृह एवं यतीमखाना, 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले सार्वजनिक पूजा स्थल, वृद्धाश्रम, माँ टेरेसा गृह, मोक्षधाम, कब्रिस्तान, समाधि स्थल, सभी व्यक्तियों को निःशुल्क पानी पिलाने वाली प्याऊ, पंजीकृत धर्मार्थन्यासों या समितियों द्वारा संचालित धर्मशालाएं, जो अनन्य रूप से घरेलू उपयोग में आती हैं और जहां आवास, विद्युत तथा जल की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है तथा सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा पंजीकृत धर्मार्थ संस्थानों द्वारा संचालित छात्रावास (हॉस्टल्स) वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु फार्म हाउस तथा राजस्थान सरकार के मध्यान्ह भोजन (मिड-डे-मील) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित सामुदायिक रसोइयों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-2006 के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित सामुदायिक रसोइयों को भी उपलब्ध है।

ऊपर वर्णित वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु किसी भी प्रकार के संस्थापन के आवासीय क्वार्टरों/कॉलोनियों के लिए भी उपलब्ध है, बशर्ते कि व्यष्टिक कनेक्शन दिए जाने के लिये जोधपुर डिस्कॉम का वितरण तंत्र विद्यमान है।

50 केवीए से अधिक मांग वाले एकल कनेक्शन (आवासीय कॉलोनियों के अलावा) के मामले में आपूर्ति वोल्टेज, इस अनुसूची के उपाबन्ध (बी) "सेवा की प्रकृति" के अन्तर्गत यथाविहित होंगे। ऐसे मामलों में विपत्रण इस टैरिफ अनुसूची के अन्तर्गत अन्य उपभोक्ताओं की भाँति किया जाएगा।

#### (बी) सेवा की प्रकृति :-

नीचे दर्शाए गए आपूर्ति वोल्टेज पर ए.सी, 50 हर्ट्ज :-

(i)	5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु	एल टी सिंगल फेज 230 वो या उपभोक्ता के विकल्प पर थ्री फेज 400 वो.
(ii)	5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार लेकिन 50 केवीए तक अधिकतम मांग हेतु	एल टी थ्री फेज 400 वो.
(iii)	एकल कनेक्शन हेतु (आवासीय कॉलोनियों के अलावा 50 केवीए से अधिक अधिकतम मांग वाला)	11 के.वी. या अधिक

#### (सी) प्रभारों की दर :

(1) **स्थायी प्रभार** : पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर निम्नानुसार प्रयोज्य होगा :-

#### I बीपीएल

50 यूनिट प्रतिमाह तक 90 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

#### II लघु घरेलू (50 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)

50 यूनिट प्रतिमाह तक 90 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

#### III सामान्य घरेलू (50 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग)

सामान्य घरेलू - 1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग) 180 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

सामान्य घरेलू - 2 (150 यूनिट से अधिक तथा 300 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग) 200 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

सामान्य घरेलू - 3 (300 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग) 240 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

सामान्य घरेलू - 4 (500 यूनिट से अधिक उपभोग) 260 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

तथा	
<b>(2) ऊर्जा प्रभार :</b>	
<b>I बीपीएल</b>	
प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक उपभोग	325 पैसे प्रति यूनिट
<b>II लघु घरेलू (प्रतिमाह 50 यूनिट तक उपभोग)</b>	
प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग	350 पैसे प्रति यूनिट
<b>III सामान्य घरेलू (प्रतिमाह 50 यूनिट से अधिक उपभोग)</b>	
<b>सामान्य घरेलू – 1 (प्रतिमाह 150 यूनिट तक उपभोग)</b>	
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक के उपभोग के लिए	350 पैसे प्रति यूनिट
(ii) प्रतिमाह 50 यूनिट से अधिक तथा 150 यूनिट तक के उपभोग के लिए	545 पैसे प्रति यूनिट
<b>सामान्य घरेलू – 2 (प्रतिमाह 150 यूनिट से अधिक तथा 300 यूनिट तक उपभोग)</b>	
(i) प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक के उपभोग के लिए	350 पैसे प्रति यूनिट
(ii) प्रतिमाह 50 यूनिट से अधिक तथा 150 यूनिट तक के उपभोग के लिए	545 पैसे प्रति यूनिट
(iii) प्रतिमाह 150 यूनिट से अधिक तथा 300 यूनिट तक के उपभोग के लिए	570 पैसे प्रति यूनिट
<b>सामान्य घरेलू – 3 (प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट तक उपभोग)</b>	
(i) प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक के उपभोग के लिए	350 पैसे प्रति यूनिट
(ii) प्रतिमाह 50 यूनिट से अधिक तथा 150 यूनिट तक के उपभोग के लिए	545 पैसे प्रति यूनिट
(iii) प्रतिमाह 150 यूनिट से अधिक तथा 300 यूनिट तक के उपभोग के लिए	570 पैसे प्रति यूनिट
(iv) प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट तक के उपभोग के लिए	600 पैसे प्रति यूनिट
<b>सामान्य घरेलू – 4 (प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक उपभोग)</b>	
(i) प्रतिमाह प्रथम 50 यूनिट तक के उपभोग के लिए	350 पैसे प्रति यूनिट
(ii) प्रतिमाह 50 यूनिट से अधिक तथा 150 यूनिट तक के उपभोग के लिए	545 पैसे प्रति यूनिट
(iii) प्रतिमाह 150 यूनिट से अधिक तथा 300 यूनिट तक के उपभोग के लिए	570 पैसे प्रति यूनिट
(iv) प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट तक के उपभोग के लिए	600 पैसे प्रति यूनिट
(v) प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक उपभोग के लिए	640 पैसे प्रति यूनिट

**टिप्पणी:**

- (i) स्थायी प्रभार पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लगाया जाएगा। नए उपभोक्ता के मामले में प्रथम छः माह के लिये स्थायी प्रभार सबसे कम स्लैब दर पर लगाया जाएगा तथा इसके पश्चात् छह माह के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिया जाएगा।
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू कनेक्शनों के मामले में केवल ऊर्जा प्रभारों पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन जहां ब्लॉक घण्टों से अधिक विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, तो ऊर्जा प्रभारों पर 10 प्रतिशत की छूट नहीं दी जाएगी।
- (iii) बीपीएल घरेलू टैरिफ सिर्फ व्यक्ति उपभोक्ता/व्यक्ति के लिए प्रयोज्य होगी और किसी संस्थान पर प्रयोज्य नहीं होगी। यदि किसी बीपीएल उपभोक्ता ने किसी भी विपत्रण चक्र में 50 यूनिट प्रतिमाह से अधिक का उपभोग किया है, तो उपभोक्ता को उपभोगित अतिरिक्त यूनिटों के लिए सामान्य घरेलू श्रेणी (एलटी-1) के अंतर्गत प्रयोज्य टैरिफ की सम्बन्धित स्लैब के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

- (iv) लघु घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सहायिकी, किसी भी महीने में उपभोग 50 यूनिट से अधिक नहीं होने पर ही ग्राह्य है।
- (v) सामुदायिक रसोई कनेक्शनों का सम्पूर्ण उपभोग, इस अनुसूची के अंतर्गत सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रयोज्य ऊर्जा प्रभारों के 50 प्रतिशत और पूर्ण स्थायी प्रभारों, पर प्रभारित किया जाएगा।
- (vi) यदि उपभोक्ता जोधपुर डिस्कॉम की अनुमति के पश्चात् "सौर जल उष्मक तन्त्र" अधिष्ठापित तथा प्रयोग करता है तो ऊर्जा प्रभारों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 300 रु. प्रतिमाह के अध्यधीन 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
- (vii) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है, तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- (viii) किसी आवासीय घर में, परिवार के सदस्यों द्वारा, बिना किसी व्यक्ति को नियोजित किए, वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधि संचालित की जाती है, तो उपभोगित विद्युत, घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत प्रभारित की जाएगी बशर्ते कि—
- (अ) आवासीय घर के उस हिस्से, जिसमें वाणिज्यिक या औद्योगिक गतिविधि संचालित होती है, का सम्बद्ध भार 2 कि.वा. से अधिक नहीं है।
- (ब) स्थिति इस प्रकार कि है कि यह स्थापित बाजार में दुकान नहीं है अर्थात् जहां सड़क/ गली के दोनों ओर 25 प्रतिशत से अधिक एक या दोनों ओर खुलने वाली दुकानों से आच्छादित नहीं है।
- इसके अतिरिक्त पूर्व में किसी भी कारण से ऐसे कनेक्शनों को अधरेलू या औद्योगिक श्रेणी में स्थानान्तरित कर दिया गया है, तो उन्हें उपरोक्त शर्तों को पूरा किए जाने पर, घरेलू श्रेणी में रूपान्तरित करना अनुज्ञात किया जाएगा।
- (ix) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है, तो उसे

उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यधीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।

- (x) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (xi) जहाँ आवासीय भवन समूहों में कुछ फ्लेटों का उपयोग अ-घरेलू प्रयोजन से किया जाता है, तो जन-सुविधाओं (कॉमन यूटिलिटी) का उपभोग, घरेलू एवं अघरेलू टैरिफ की प्रयुक्ति हेतु वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या तथा अ-घरेलू प्रकार के उपभोक्ताओं की संख्या के अनुपात में अलग-अलग किया जाएगा।
- (xii) यदि किसी फार्म हाउस में घरेलू के अलावा अन्य गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, तो कनेक्शन को टैरिफ तथा विनियमों के अनुसार पुनः श्रेणीबद्ध किया जायेगा। तदनुसार, यदि किसी फार्म हाउस कनेक्शन का उपयोग वास्तविक कृषि प्रयोजन से किया जा रहा है, तो उसे सम्बन्धित कृषि श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रित किया जायेगा।
- (xiii) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉरमेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3% (3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।

**(डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :**

- (I) (1) 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के मामले में, मासिक औसत पावर फैक्टर में 0.90 तक सुधार के लिए यदि एचपी में मोटर(रों) की रेटेड क्षमता के 50% के बराबर केवीएआर की क्षमता के शन्ट

संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए जाते हैं या यदि अधिष्ठापित हैं परन्तु उसके बाद कार्यशील नहीं है, तो खराबी की अवधि के लिए विपत्रित राशि पर 3% की दर से अधिभार लगाया जाएगा।

(2) उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसिटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में उसे तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने के एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में भी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।

(3) यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को, आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।

(II) 25 एच.पी. (18.65 कि.वा.) से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900(90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001(0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950(95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

## (II) अघरेलू सेवा (अनुसूची एनडीएस/एलटी-2)

### (ए) प्रयोज्यता :

इस अनुसूची (schedule) में निम्नांकित वे सभी श्रेणियों शामिल होंगी, जो टैरिफ संरचना के भाग-1 की अन्य अनुसूचियों द्वारा आवृत नहीं हैं :-

डीएस/एलटी-1	पीएसएल/एलटी-3,	एजी/एलटी-4
एसपी/एलटी-5	एमपी/एलटी-6,	एमएल/एलटी-7

इसमें वाणिज्यिक और अघरेलू संस्थानों जैसे दुकानें, व्यापार घर, 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले सार्वजनिक पूजास्थल, घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत आवृत न होने वाले समस्त छात्रावास, धर्मशालाएं जो पंजीकृत धर्मार्थ न्यासों या समितियों द्वारा संचालित नहीं हैं और जहां पर आवास, जल व विद्युत की सुविधा निशुल्क उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, होटल, रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, गैरेज, ऑडिटोरियम, सिनेमाघरों के लिए रोशनी, पंखों, तापन एवं पावर उपकरणों हेतु विद्युत आपूर्ति शामिल है।

शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, उपचर्यागृह (नर्सिंग होम), औषधालयों और निदानगृह (क्लीनिक) जो सरकार या सरकार के अभिकरणों द्वारा संधारित व संचालित नहीं किए जाते हैं, समस्त टेलीफोन सेवा प्रचालक (भारत संचार निगम लिमिटेड या अन्य कोई), संलग्न कार्यालयों सहित टेलीफोन/मोबाइल एक्सचेंजों/स्विचेज, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन स्टेशन तथा उनके ट्रान्समीटर (सरकार/सरकारी उपकरणों द्वारा संचालित सहित) विवाह स्थल, जोजोबा खेती, गौशालाएं एवं नर्सरी आदि तथा आवासीय परिसर का ऐसा हिस्सा जो व्यापार करने या इन वाणिज्यिक तथा अघरेलू संस्थापनों की किन्ही अन्य गतिविधियों के उपयोग में लिया जाता है तथा अधिवक्ताओं के कार्यालय, जो उनके स्वयं के निवास पर अवस्थित नहीं हैं, को भी यह उपलब्ध है।



(बी) सेवा की प्रकृति

नीचे दर्शाये गए आपूर्ति वोल्टेज पर, ए.सी, 50 हर्ट्ज :-

- (i) 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु एल टी सिंगल फेज, 230 वो. या उपभोक्ता के विकल्प पर थ्री फेज 400 वोल्ट्स,
- (ii) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार लेकिन 50 केवीए तक की अधिकतम मांग हेतु एल टी थ्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभारों की दर :

- (1) **स्थायी प्रभार** : पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर निम्नानुसार प्रयोज्य होगा:-

- (I) 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु (एलटीआपूर्ति)  
**अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 1**  
( प्रतिमाह प्रथम 100 यूनिट तक का उपभोग) 210/- रु. प्रति कनेक्शन प्रति माह
- अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 2**  
( प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक तथा 200 यूनिट तक का उपभोग) 210/- रु. प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
- अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 3**  
( प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट तक उपभोग) 250/- रु. प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
- अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 4**  
( प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक उपभोग) 300/- रु. प्रति कनेक्शन प्रतिमाह

(II) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार (एलटी आपूर्ति) परन्तु अधिकतम मांग 50 केवीए तक

- ( प्रतिमाह 100 यूनिट तक का उपभोग)  
(प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक तथा 200 यूनिट तक उपभोग)  
(प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट तक उपभोग)  
प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक उपभोग
- स्वीकृत सम्बद्ध भार का 85 रु. प्रति कि.वा. प्रतिमाह या  
विपन्न मांग का 170 रु. प्रति केवीए प्रतिमाह  
(यदि स्वीकृत सम्बद्ध भार 18.65 कि.वा. से अधिक है)  
स्वीकृत सम्बद्ध भार का 95 रु. प्रति कि.वा. प्रतिमाह या  
विपन्न मांग का 170 रु. प्रति केवीए प्रतिमाह  
(यदि स्वीकृत सम्बद्ध भार 18.65 कि.वा. से अधिक है)

तथा

(2) ऊर्जा प्रभार

- (I) 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार हेतु (एलटीआपूर्ति)  
**अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 1**  
प्रतिमाह प्रथम 100 यूनिट तक का उपभोग 675 पैसे प्रति यूनिट
- अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 2**  
प्रतिमाह 100 यूनिट तक का उपभोग 675 पैसे प्रति यूनिट  
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक तथा 200 यूनिट तक का उपभोग 715 पैसे प्रति यूनिट
- अघरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 3**  
प्रतिमाह 100 यूनिट तक का उपभोग 675 पैसे प्रति यूनिट  
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक तथा 200 यूनिट तक का उपभोग 715 पैसे प्रति यूनिट  
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक तथा 500 यूनिट तक उपभोग 745 पैसे प्रति यूनिट

**अधरेलू सेवा – 5 किलोवाट तक स्वीकृत सम्बद्ध भार – टाइप 4**

प्रतिमाह 100 यूनिट तक का उपभोग	675	पैसे प्रति यूनिट
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक तथा		
200 यूनिट तक का उपभोग	715	पैसे प्रति यूनिट
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक तथा		
500 यूनिट तक उपभोग	745	पैसे प्रति यूनिट
प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक उपभोग	785	पैसे प्रति यूनिट

**(II) 5 किलोवाट से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार (एलटी आपूर्ति) परन्तु अधिकतम मांग 50 केवीए तक**

प्रतिमाह 100 यूनिट तक का उपभोग	675	पैसे प्रति यूनिट
प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक तथा		
200 यूनिट तक का उपभोग	715	पैसे प्रति यूनिट
प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक तथा		
500 यूनिट तक उपभोग	745	पैसे प्रति यूनिट
प्रतिमाह 500 यूनिट से अधिक उपभोग	785	पैसे प्रति यूनिट

**टिप्पणी :-**

- (i) स्थायी प्रभार पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लगाया जाएगा। नए उपभोक्ता के मामले में प्रथम छः माह के लिये स्थायी प्रभार सबसे कम स्लैब दर पर लगाया जाएगा तथा इसके पश्चात् छह माह के औसत मासिक उपभोग के आधार पर लिया जाएगा।
- (ii) 5 किलोवाट से अधिक तथा 25 किलोवाट तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले सार्वजनिक पूजा स्थलों के प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह, इस अनुसूची के अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रयोज्य ऊर्जा प्रभार की आधी दर पर प्रभारित किए जाएंगे तथापि, स्थाई प्रभार सामान्य दर पर ही प्रभारित किए जाएंगे।
- (iii) "जोजोबा खेती" के लिए सम्पूर्ण उपभोग इस अनुसूची के अन्तर्गत अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी ऊर्जा प्रभारों की आधी दर पर प्रभारित किया जाएगा। तथापि, स्थायी प्रभार सामान्य दर पर ही प्रभारित किये जाएंगे।

- (iv) 'गौशालाओं' के लिए सम्पूर्ण उपभोग सामान्य धरेलू सेवा के ऊर्जा प्रभारों की आधी दर पर तथा स्थायी प्रभार सामान्य धरेलू सेवा का पूरा प्रभारित किया जाएगा।
- (v) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी।
- (vi) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यधीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- (vii) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (viii) 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) से अधिक भार वाले उपभोक्ता मांग के आधार पर विपत्रण का विकल्प दे सकते हैं तथा उस दशा में स्थाई प्रभार एनडीएस/एचटी-2 श्रेणी के लिए यथाप्रयोज्य प्रयुक्त होंगे तथा विपत्रण मांग व अधिक मांग अधिभार इत्यादि एनडीएस/एचटी-2 के लिए लिये यथाप्रयोज्य भी प्रयुक्त होंगे। तथापि, यदि मांग 50 केवीए से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता को, इस आदेश के पैरा (iii) - प्रयोज्यता की सामान्य शर्तों के मद संख्या 16 के प्रावधानों के अनुसार, एचटी वोल्टेज पर परिवर्तित होना होगा।
- (ix) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम

अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3% (3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।

- (x) ऐसे उपभोक्ता टैरिफ अनुसूची एनडीएस/एचटी-2 के अन्तर्गत आपूर्ति लेने का विकल्प भी दे सकते हैं, जिसके लिए संविदा मांग का अनुबन्ध करना होगा।

**(डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :**

- (I) (1) 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के मामले में, मासिक औसत पावर फैक्टर में 0.90 तक सुधार के लिए यदि एचपी में मोटर(रों) की रेटेड क्षमता के 50% के बराबर केवीएआर की क्षमता के शन्ट संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए जाते हैं या यदि अधिष्ठापित हैं परन्तु उसके बाद कार्यशील नहीं है, तो खराबी की अवधि के लिए विपत्रित राशि पर 3% की दर से अधिभार लगाया जाएगा।
- (2) उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसिटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने के एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।
- (3) यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को, आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।
- (II) 25 एच.पी. (18.65 कि.वा.) से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की

कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900(90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001(0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950(95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

**(III) सार्वजनिक पथ प्रकाश (अनुसूची पीएसएल/एलटी-3)**

**(ए) प्रयोज्यता**

नगर पालिकाओं, पंचायतों, औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात नियन्त्रण सिग्नल तन्त्र सहित सरकार एवं स्थानीय निकायों के गली/पथ प्रकाश तंत्र हेतु परन्तु निजी कॉलोनियों में ऐसी आपूर्ति के अलावा, उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग के समानान्तर पथ प्रकाश तन्त्र के लिए भी उपलब्ध है। बशर्ते कि इसके लिए पृथक मीटरिंग है।

**(बी) सेवा की प्रकृति :**

ए.सी 50 हर्ट्ज, एलटी सिंगल फेज 230 वो. या थ्री फेज 400 वो.,

**(सी) प्रभारों की दर**

**(1) स्थायी प्रभार :**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (i) 1 लाख से कम जनसंख्या वाली       | 750/- रु. प्रति सेवा   |
| पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों में | कनेक्शन प्रति माह के अधिकतम के अध्यक्षीन 75 रु. प्रति लैम्प बिन्दु प्रति माह |

(ii) 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्रों में	1900/- रु. प्रति सेवा कनेक्शन प्रतिमाह के अधिकतम के अध्यक्षीन 95 रु. प्रति लैम्प बिन्दु प्रतिमाह
--	--

तथा

## (2) ऊर्जा प्रभार

(i) 1 लाख से कम जनसंख्या वाली पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्रों में	585 पैसे प्रति यूनिट
(ii) 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्रों में	630 पैसे प्रति यूनिट

टिप्पणी :-

- मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है, तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यक्षीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम

अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉरमेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3% (3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।

## (डी) शन्ट संधारित्र की अधिष्ठापना :

- (1) 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के मामले में, मासिक औसत पावर फैक्टर में 0.90 तक सुधार के लिए यदि एचपी में मोटर(रों) की रेटेड क्षमता के 50% के बराबर केवीएआर की क्षमता के शन्ट संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए जाते हैं या यदि अधिष्ठापित हैं परन्तु उसके बाद कार्यशील नहीं है, तो खराबी की अवधि के लिए विपत्रित राशि पर 3% की दर से अधिभार लगाया जाएगा।
  - उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसिटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने के एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।
  - यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को, आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।
- (II) 25 एच.पी. (18.65 कि.वा.) से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900(90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001 (0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.950(95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

#### (IV) कृषि सेवा (अनुसूची एजी/एलटी-4)

इस अनुसूची के अन्तर्गत नए कनेक्शन केवल मीटर्ड आपूर्ति (अनुसूची एजी/एम एस/एलटी-4) के अन्तर्गत ही जारी किये जाएंगे।

**टिप्पणी:** चारा योजना उपभोक्ताओं को नीचे वर्णित सम्बन्धित कृषि श्रेणियों में विलीन कर दिया जायेगा।

#### (A) मीटर्ड आपूर्ति (अनुसूची एजी/एमएस/एलटी-4)

#### (ए) प्रयोज्यता :

कृषि प्रयोजनार्थ सामुदायिक/सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए उपयोग में आने वाले पम्पिंग सैट,गन्दे पानी को कृषि के प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने वाले पम्पिंग तथा मत्स्य शालाओं के लिए उपलब्ध है। अण्डजशालाओं को छोड़कर पॉल्ट्री फार्मों। बशर्ते कि पॉल्ट्री फार्म के लिए अलग कनेक्शन लिया गया है और उससे विद्युत का उपयोग केवल पॉल्ट्री फार्मिंग के लिए किया जाता है, सरकारी विभाग या सरकारी विभाग की एजेन्सियों द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता पद्धति के अन्तर्गत संचालित नर्सरियों के लिए भी उपलब्ध है।

#### (बी) सेवा की प्रकृति

ए. सी. 50 हर्टज, थ्री फेज 400 वो.,

#### (सी) प्रभारों की दर

#### 1 स्थायी प्रभार :

क्र.स.	श्रेणी	दरें
(i)	सामान्य श्रेणी ( ब्लॉक घण्टों में आपूर्ति प्राप्त करने वाले)	15 रु. प्रति एचपी प्रतिमाह।
(ii)	उपरोक्त मद (i) के अन्तर्गत आवृत न हुये तथा ब्लॉक घण्टों से अधिक आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी।	30 रु. प्रति एचपी प्रतिमाह।

#### तथा

#### 2. ऊर्जा प्रभार :

क्र.स	श्रेणी	दर
(i)	सामान्य श्रेणी (ब्लॉक घण्टों में आपूर्ति प्राप्त करने वाले)	450 पैसे प्रति यूनिट
(ii)	उपरोक्त मद (i) के अन्तर्गत आवृत न हुये तथा ब्लॉक घण्टों से अधिक आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी।	570 पैसे प्रति यूनिट

#### टिप्पणी :-

- (i) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो

प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यक्षीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।

- (ii) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (iii) मीटर्ड आपूर्ति टेरिफ के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अनुमत है :-
- अ. पम्प के समीप पावर परिपथ में कुल मिलाकर 60 वाट से अनधिक के दो लैम्प बिन्दु और इसका उपभोग उपरोक्त दर पर प्रभारित किया जाएगा। ऐसे लैम्प बिन्दुओं के भार को जब तक कि वाटेज कुल मिलाकर 60 वाट से अधिक नहीं है, सम्बद्ध भार के विनिर्धारण हेतु ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अनुमत किए गए ऐसे प्रति दो लैम्प बिन्दु के वाटेज कुल 60 (साठ) वाट से अधिक हो जाने पर इसे कुल भार के निर्धारण हेतु जोड़ा जाएगा।
- ब. मीटरित आपूर्ति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उसी सेवा सम्बन्ध, जिस पर पम्प का उपयोग किया जाता है, से अपने स्वयं के उपभोग हेतु श्रेणर तथा चारा काटने की मशीन का उपयोग में लिया जाना भी अनुमत हैय बशर्ते कि इस प्रकार का संचालन कृषि पम्पिंग के सहायक प्रचालन के रूप में किया जाता है और पम्प से 25 मीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित नहीं है। तथापि, इन श्रेणरों व चारा काटने के मशीन का भार विपत्रण के प्रयोजनार्थ सम्बद्ध भार के प्रति नहीं गिना जाएगा।
- (iv) यदि उपभोक्ता ऊर्जा दक्ष पंप सैट (थ्री स्टार तथा उससे अधिक) के अतिरिक्त स्प्रिंकलर्स सैट का उपयोग करता है, तो ऊर्जा प्रभारों में 10 पैसे प्रति यूनिट का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- (v) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है, तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- (vi) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है, तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा

प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉरमेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3% (3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।

#### (डी) शन्ट संधारित्र की अधिष्ठापना

- (1) 3 एचपी से अधिक का कोई भी नया कनेक्शन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि एचपी में मोटर की रेटेड क्षमता के 50 प्रतिशत के बराबर केवीएआर क्षमता के संधारित्र जोधपुर डिस्कॉम के पूर्ण संतोषण के लिए अधिष्ठापित नहीं कर लिए जाते हैं। उपभोक्ता मानक निर्माता द्वारा निर्मित तथा आईएसआई विनिर्देशन द्वारा विधिवत् चिन्हित शन्ट संधारित्र अधिष्ठापित करेगा।
- (2) उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसिटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में उसे तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने की एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में भी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।
- (3) निरीक्षण किए जाने पर यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए गए हैं तथा यदि अधिष्ठापित कर लिए गए हैं परन्तु उपयुक्त क्षमता के नहीं हैं या ठीक व सही स्थिति में संधारित नहीं हैं, तो निरीक्षण किए जाने की तिथि से, उपभोक्ता द्वारा ठीक व सही स्थिति में उपयुक्त क्षमता के संधारित्र अधिष्ठापित कर लिए जाने तथा जोधपुर डिस्कॉम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से जांच/निरीक्षण करवा लिए जाने के समय तक विपत्रित राशि पर तीन 3% की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।
- (4) यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।

(B) (फ्लेट रेट टेरिफ) (अनुसूची एजी/एफआर/एलटी-4):

(ए) प्रयोज्यता :

कृषि प्रयोजनार्थ, सामुदायिक /सहकारी लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए पम्प सैटों हेतु उपलब्ध है।

(बी) सेवा की प्रकृति :

ए.सी. 50 हर्ट्ज, श्री फेज 400 वो.

(सी) प्रभारों की दर

(1) स्थायी प्रभार :

क्र.स.	श्रेणी	दरें
(i)	सामान्य श्रेणी (ब्लॉक घण्टों में आपूर्ति प्राप्त करने वाले)	15 रु. प्रति एचपी प्रतिमाह।
(ii)	उपरोक्त मद (i) के अन्तर्गत आवृत न हुये तथा ब्लॉक घण्टों से अधिक आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी।	30 रु. प्रति एचपी प्रतिमाह।

तथा

(2) ऊर्जा प्रभार

क्र.स.	श्रेणी	दरें
(i)	सामान्य (ब्लॉक घण्टों में आपूर्ति प्राप्त करने वाले)	600/-रु .प्रति हार्सपावर प्रतिमाह
(ii)	उपरोक्त मद (i) के अन्तर्गत आवृत न हुये तथा ब्लॉक घण्टों से अधिक आपूर्ति प्राप्त करने वाले अन्य सभी	720/-रु प्रति हार्सपावर प्रतिमाह

टिप्पणी

(i) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह)

दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यधीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।

(ii) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।

(iii) फ्लेट रेट आपूर्ति के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अनुमत है -

(अ) पम्प के समीप पावर परिपथ में कुल मिलाकर 60 वाट से अनधिक के दो लैम्प बिन्दु तथा इसका उपभोग उपरोक्त दर पर प्रभारित किया जाएगा। ऐसे लैम्प बिन्दुओं के भार को जब तक कि वाटेज कुल मिलाकर 60 वाट से अधिक नहीं है, सम्बद्ध भार के विनिर्धारण हेतु ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अनुमत किए गए ऐसे प्रति दो लैम्प बिन्दु के वाटेज कुल 60 (साठ) वाट से अधिक हो जाने पर इसे फ्लेट रेट प्रभार विनिर्धारित करने के लिए कुल भार के निर्धारण में जोड़ा जाएगा।

(ब) उसी सेवा सम्बन्ध, जिस पर पम्प का उपयोग किया जाता है, से अपने स्वयं के उपयोग हेतु श्रेणर तथा चारा काटने की मशीन का उपयोग में लिया जाना भी अनुमत है, बशर्ते कि इस प्रकार का संचालन कृषि पम्पिंग के सहायक प्रचालन के रूप में किया जाता है और पम्प से 25 मीटर से अधिक की दूरी पर अवस्थित नहीं है। तथापि, इन श्रेणरों व चारा काटने के मशीन का भार विपत्रण के प्रयोजनार्थ, सम्बद्ध भार के प्रति नहीं गिना जाएगा।

(iv) फ्लेट रेट, ऊपर वर्णित प्रयोज्यतानुसार, सही अर्थ में केवल किसी उपभोक्ता के वास्तविक उपयोग हेतु उपलब्ध है। पानी का विक्रय या यहां तक कि किसी अन्य को सिंचाई हेतु या किसी अन्य प्रयोजनार्थ या स्वयं के अलावा किसी अन्य की भूमि से फसल का हिस्सा प्राप्त करने के उद्देश्य या किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ/लाभ प्राप्ति हेतु पानी की निःशुल्क आपूर्ति पूर्णतः प्रतिबन्धित है

और किसी भी प्रकार का उल्लंघन /दुरुपयोग, उपभोक्ता को ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के दो गुणा की दर पर संदाय करने के लिए उत्तरदायी बनाते हुए उच्चतर दर का कारक होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को विच्छेदित किए जाने के अतिरिक्त उल्लंघन की जो स्थिति पायी गयी थी तथा वैद्युतीय ऊर्जा के उपरोक्त तरीके से पाये गये दुरुपयोग/अनुचित उपयोग, जोधपुर डिस्कॉम के सन्तोषण के लिए हटा लिए जाने तक, ऐसी उच्चतर दरों पर प्रभारित किया जाता रहेगा। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता यथोपरिलिखित अनुमत प्रयोज्यता के अलावा किसी अन्य प्रयोज्य से विद्युत का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो विद्युत सम्बन्ध विच्छेदित किये जाने तथा/या नियमों/विनियमों के अन्तर्गत यथावांछित कार्यवाही किये जाने के अतिरिक्त ऊपर दी गयी गयी टैरिफ के दोगुणा से प्रभारित किया जाएगा।

- (v) यदि इस अनुसूची के अंतर्गत उच्च आतति आपूर्ति पर कनेक्शन दिया जाता है, तो इस अनुसूची के अंतर्गत विपत्रित राशि (स्थायी प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- (vi) फ्लेट रेट के अन्तर्गत एक वर्ष में आपूर्ति के आश्वासित घण्टे 1620 घण्टे होंगे।

### (डी) शन्ट संधारित्र की अधिष्ठापना

- (1) 3 एचपी से अधिक सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ता के लिए एचपी में मोटर की रेटेड क्षमता के 50 प्रतिशत के बराबर कैवीएआर क्षमता के संधारित्र जोधपुर डिस्कॉम के पूर्ण संतोषण के लिए अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक होगा। उपभोक्ता मानक निर्माता द्वारा निर्मित तथा आईएसआई विनिर्देशन द्वारा विधिवत् चिन्हित शन्ट संधारित्र अधिष्ठापित करेगा।
- (2) उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसीटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में उसे तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने की एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में भी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।
- (3) निरीक्षण किए जाने पर यदि यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए गए हैं तथा यदि अधिष्ठापित कर

लिए गए हैं परन्तु उपयुक्त क्षमता के नहीं हैं या ठीक व सही स्थिति में संधारित नहीं हैं, तो निरीक्षण किए जाने की तिथि से, उपभोक्ता द्वारा ठीक व सही स्थिति में उपयुक्त क्षमता के संधारित्र अधिष्ठापित कर लिए जाने तथा जोधपुर डिस्कॉम के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता से जांच/निरीक्षण करवा लिए जाने के समय तक विपत्रित राशि पर तीन 3% की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

- (4) यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।
- (5) उपभोक्ता से यथोपरिलिखित प्रभारित अधिभार की राशि को फ्लेट रेट प्रभारों के प्रति नहीं माना जाएगा।
- (V) लघु औद्योगिक सेवा (अनुसूची एसपी/एलटी-5)
- (ए) प्रयोज्यता :

यह टैरिफ, लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं, मुद्रण यन्त्रों (प्रिंटिंग प्रेसों), सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं, कुटीर उद्योगों (जैसे जरी मेकिंग, चांदी और सोने के तार रेखण (सिल्वर और गोल्ड वायर ड्राईंग, जेम स्टोन पॉलिशिंग) हेचरीज, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा पानी की आपूर्ति, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जलदाय तथा न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति, रिसाव (सीपेज) जल का इंदिरा गाँधी नहर परियोजना द्वारा वापस पम्पिंग, हस्त शिल्प (हैंडीक्राफ्ट), वस्त्रोद्योग (टेक्सटाइल), रंगाई व छपाई उद्योग, शीतागार (कोल्डस्टोरेज), सॉफ्टवेयर इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों व उद्देश्यों के साथ कम्पनीज् अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा अथवा वे जो सूचना प्रौद्योगिकी हेतु राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के यहां राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा आटा चक्कियां, जिनका सम्बद्ध रोशनी भार, औद्योगिक भार की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्दर- अन्दर है और कुल सम्बद्ध भार (स्वीकार्य रोशनी भार सहित) (18.65 कि.वा.) 25 एचपी से अधिक नहीं हैं, पर प्रयोज्य होगी।



## टिप्पणी :-

तथापि, यदि रोशनी भार 10% की सीमा में है परन्तु औद्योगिक भार सहित कुल भार 25 एचपी से अधिक है, तो उपभोक्ता या तो मध्यम उद्योग सेवा श्रेणी में आ सकता है या वह अ-घरेलू सेवा श्रेणी के अन्तर्गत पृथक रोशनी कनेक्शन ले सकता है। इसी प्रकार यदि रोशनी भार 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक है परन्तु कुल भार (18.65कि.वा.) 25 एचपी की सीमा में है तब भी उपभोक्ता अघरेलू सेवा श्रेणी के अन्तर्गत पृथक रोशनी कनेक्शन ले सकता है।

## (बी) सेवा की प्रकृति :

नीचे इंगित आपूर्ति वोल्टेज पर, ए.सी 50 हर्ट्ज

- |      |  |  |
|------|--|--|
| (i)  | 5 किवा तक सम्बद्ध भार हेतु   | एलटी सिंगल फेज 230 वो. या उपभोक्ता के विकल्प पर श्री फेज 400 वो. |
| (ii) | 5 किवा. से अधिक परन्तु (18.65 किवा.) 25 हा.पा. से अनधिक सम्बद्ध भार हेतु | एलटी श्री फेज 400 वो.  |

## (सी) प्रभारों की दर :

- (1) स्थायी प्रभार – स्वीकृत सम्बद्ध भार का 60 रु. प्रति एचपी प्रतिमाह तथा
- (2) ऊर्जा प्रभार

(I)	प्रथम 500 यूनिट प्रतिमाह तक	535 पैसे प्रति यूनिट
II)	500 यूनिट प्रतिमाह से अधिक	575 पैसे प्रति यूनिट

## टिप्पणी :

- (i) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो

प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यक्षीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।

- (ii) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (iii) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- (iv) यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3% (3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।

## (डी) शन्ट संधारित्र की अधिष्ठापना :

- (I) (1) 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के मामले में, मासिक औसत पावर फैक्टर में 0.90 तक सुधार के लिए यदि एचपी में मोटर(रों) की रेटेड क्षमता के 50% के बराबर केवीएआर की क्षमता के शन्ट संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए जाते हैं या यदि अधिष्ठापित हैं परन्तु उसके बाद कार्यशील नहीं है, तो खराबी की अवधि के लिए विपत्रित राशि पर 3% की दर से अधिभार लगाया जाएगा।
- (2) उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसिटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में उसे तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने के एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में भी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।

(3) यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।

**(VI) मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एलटी- 6)**

**(ए) प्रयोज्यता :**

यह टैरिफ 25 एचपी (18.65 कि.वा.) से अधिक परन्तु 150 एचपी (112 कि.वा.) तक के कुल स्वीकृत सम्बद्ध भार एवं/या 50 केवीए से अनधिक संविदा/अधिकतम मांग वाले औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, मुद्रण यंत्रों (प्रिंटिंग प्रेसों), सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं, हेचरीज, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा जलापूर्ति तथा सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जलदाय तथा न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति, रिसाव (सीपेज) जल का इ.गां.न. प. द्वारा वापस पम्पिंग, हस्तशिल्प, वस्त्रोद्योग, रंगाई व छपाई उद्योग, शीतागार, सॉफ्टवेयर इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों व उद्देश्यों के साथ कम्पनीज् अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा अथवा वे जो सूचना प्रौद्योगिकी हेतु राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के यहां राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा आटा चक्कियों पर प्रयोज्य होगी।

**(बी) सेवा की प्रकृति :**

एल.टी श्री फेज 400 वो.

**(सी) प्रभारों की दर :**

1.	स्थायी प्रभार	स्वीकृत सम्बद्ध भार का 70 रूपये प्रति हार्स पावर प्रतिमाह
		या
		विपत्रण मांग का 150 रु. प्रति केवीए प्रति माह
		तथा
2.	ऊर्जा प्रभार	625 पैसे प्रति यूनिट

**टिप्पणी :**

- मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान का अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यक्षीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- ऐसे उपभोक्ता मांग के आधार पर विपत्रण का विकल्प भी दे सकते हैं और उस दशा में एमपी/एचटी- 3 श्रेणी के लिए प्रयोज्य स्थायी प्रभार प्रयुक्त होंगे तथा एमपी/एचटी-3 उपभोक्ताओं के लिए यथाप्रयोज्य विपत्रण मांग तथा अधिक मांग अधिभार आदि सम्बन्धी अन्य प्रावधान भी प्रयुक्त होंगे। तथापि, यदि मांग 50 केवीए से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता को इस आदेश के मद सं. 16 प्रयोज्यता की-सामान्य शर्तों के पैरा (iii) के प्रावधानों के अनुसार एचटी वोल्टेज पर स्थानान्तरित होना होगा।
- यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉरमेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3%

(3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।

- (vi) ऐसे उपभोक्ता, टैरिफ अनुसूची एमपी/एचटी-3 के अन्तर्गत आपूर्ति लेने का विकल्प भी दे सकते हैं, जिसके लिए संविदा मांग अनुबद्ध किया जाना आवश्यक होगा।

**(डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध**

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01 (1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900(90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001(0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

**(VII) मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति (अनुसूची एमएल/एलटी-7)**

**(ए) प्रयोज्यता :**

समाज कल्याण विभाग या अन्य किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अपंजीकृत/से अमान्यता प्राप्त अनाथाश्रमों, कुष्ठ रोगी गृहों, यतीमखानों, सरकार या सरकार के अभिकरणों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं, रेलवे, सरकार/स्थानीय निकायों के सार्वजनिक उद्यान/

उपवन (पार्क), छावनियों, प्रतिरक्षा संस्थापनों, हवाईअड्डों को तथा सरकार/सरकार के अभिकरणों/रेडक्रास सोसायटियों द्वारा संचालित अस्पतालों, औषधालयों, निदानगृहों, उपचर्या गृहों को 50 केवीए तक की अधिकतम मांग की रोशनी, तापन (हीटिंग), पम्पिंग, औद्योगिक एवं पथ प्रकाश आदि हेतु उपलब्ध है।

**टिप्पणी :**

- उपरोक्त सार्वजनिक सड़को द्वारा पृथक न किए गए सुसंहत (काम्पेक्ट) क्षेत्रों में संस्थापनों पर प्रयुक्त होगा।
- यदि किसी उपभोक्ता की एक परिसर में ,जोधपुर डिस्कॉम की सुविधा हेतु एक से अधिक आपूर्ति बिन्दु है, तो विपत्रण के प्रयोजन से ऐसे सभी बिन्दुओं का उपभोग जोड़ा जाएगा।
- आन्तरिक वितरण तंत्र उपभोक्ता द्वारा धारित व संधारित होगा। मीटर रीडिंग, विपत्रण एवं राजस्व संग्रहण उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
- यदि इस श्रेणी में से किसी विशेष प्रकार के भार को अलग किया जाता है तो उसे सुसंगत श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रित किया जायेगा। यदि बचे हुए भार में कोई एक प्रकार का भार सर्वाधिक (प्री-डोमीनेंट) अर्थात् 75% या अधिक है, तो सर्वाधिक भार के लिए प्रयोज्य टैरिफ प्रयुक्त की जाएगी। तथापि, यदि कोई सर्वाधिक भार नहीं है, तो बचे हुए भार पर मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति की टैरिफ प्रयुक्त की जायेगी।

**(बी) सेवा की प्रकृति :**

नीचे इंगित आपूर्ति वोल्टेज पर, ए.सी 50 हर्टज

- |      |   |  |
|------|---|--|
| (i)  | 5 कि.वा. सम्बद्ध भार के हेतु  | एलटी सिंगल फेज 230 वो. या उपभोक्ता के विकल्प पर श्री फेज 400 वो. |
| (ii) | 5 कि.वा. से अधिक सम्बद्ध भार से अधिक परन्तु 50 केवीए तक की अधिकतम मांग हेतु | एल टी, श्री फेज 400 वो.  |

### (सी) प्रभारों की दर

1. स्थायी प्रभार	स्वीकृत सम्बद्ध भार का 70 रूपये प्रति हार्स पावर प्रति माह
	या
तथा	विपत्रण मांग का 150 रु. प्रति केवीए प्रति माह
2. ऊर्जा प्रभार	625 पैसे प्रति यूनिट

### टिप्पणी:-

- मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यधीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- 18.65 कि.वा. (25 एच.पी.) से अधिक भार वाले उपभोक्ता मांग के आधार पर विपत्रण का विकल्प दे सकते हैं तथा उस दशा में स्थाई प्रभार एमएल/एचटी-4 श्रेणी के लिए यथाप्रयोज्य प्रयुक्त होंगे तथा विपत्रण मांग व अधिक मांग अधिभार इत्यादि एमएल/एचटी-4 के लिए लिये यथाप्रयोज्य भी प्रयुक्त होंगे। तथापि, यदि मांग 50 केवीए से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता को, इस आदेश के पैरा (iii) - प्रयोज्यता की सामान्य शर्तों के मद संख्या 16 के प्रावधानों के अनुसार, एचटी वोल्टेज पर परिवर्तित होना होगा।

- यदि इस अनुसूची के अन्तर्गत किसी उपभोक्ता को एचटी साइड पर मीटर लगाने के साथ उच्च आतति (एचटी) पर आपूर्ति दी जाती है तो इस अनुसूची के अन्तर्गत विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5% की छूट दी जाएगी। तथापि, जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर लगा सकता है और ऐसी दशा में ट्रांसफॉरमेशन हानियों की पूर्ति के लिए अभिलिखित उपभोग में 3% (3 प्रतिशत) जोड़ा जाएगा, उसके पश्चात् विपत्रित राशि (ऊर्जा प्रभार + स्थाई प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुज्ञात होगी।
- ऐसे उपभोक्ता टैरिफ अनुसूची एमएल/एचटी-4 के अन्तर्गत आपूर्ति लेने का विकल्प भी दे सकते हैं, जिसके लिए संविदा मांग का अनुबन्ध करना होगा।

### (डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :-

- 25 हार्स पावर (18.65 कि.वा.) तक के स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं के मामले में, मासिक औसत पावर फैक्टर में 0.90 तक सुधार के लिए यदि एचपी में मोटर(रों) की रेटेड क्षमता के 50% के बराबर केवीएआर की क्षमता के शन्ट संधारित्र अधिष्ठापित नहीं किए जाते हैं या यदि अधिष्ठापित हैं परन्तु उसके बाद कार्यशील नहीं है, तो खराबी की अवधि के लिए विपत्रित राशि पर 3% की दर से अधिभार लगाया जाएगा।
  - उपभोक्ता के पक्ष पर संधारित्र (कैपेसिटर) को सही स्थिति में रखना बाध्यकारी होगा तथा इसके जल जाने/क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में उसे तुरन्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को लिखित में सूचित करना होगा। उसे संधारित्र के खराब हो जाने के एक माह की अधिकतम अवधि के अन्दर-अन्दर खराबी को सही भी करवानी होगी। वह इस बारे में भी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को सूचित करेगा।
  - यदि उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त शन्ट संधारित्र को लगातार छः माह तक सही स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उक्त अधिभार का भुगतान कर दिए जाने पर भी जोधपुर डिस्कॉम को, आपूर्ति विच्छेदित कर दिए जाने सहित किसी भी अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही किए जाने का अधिकार होगा।

II. 25 हार्स पावर (18.65) से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार वाले उपभोक्ताओं 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है, तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001 (0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यदि औसत पावर पैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

## टैरिफ संरचना

### भाग – II

#### एच टी टैरिफ

**सामान्य:** इस भाग में एच.टी आपूर्ति तथा संविदा मांग (contract demand) आधारित टैरिफ अन्तर्विष्ट है। इस भाग की टैरिफ उन उपभोक्ताओं पर प्रयोज्य होगी, जिनकी संविदा मांग/अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक है अथवा जो एच.टी. पर आपूर्ति लेना चाहते हैं तथा मांग (demand) के आधार पर विपन्नता का विकल्प देते हैं।

1. संविदा मांग आधारित टैरिफ, मूलतः 11 के.वी आपूर्ति के लिये टैरिफ है। यदि उपभोक्ता अद्योलिखित वोल्टेज पर आपूर्ति लेता है अथवा दी जाती है, तो उस महीने विपन्नित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर निम्नलिखित छूट दी जायेगी।

33,000	वोल्ट्स	3.00%
1,32,000	वोल्ट्स	4.00%
2,20,000	वोल्ट्स	5.00%

#### 2. मानक विहित वोल्टेज (Standard Prescribed Voltages)

क्र.स.	संविदा मांग	आपूर्ति के वोल्टेज
1	1500 केवीए तक	11 के.वी.
2	1500 केवीए से अधिक एवं 5000 केवीए तक	33 के.वी.
3	5000 केवीए से अधिक	132 केवी या 220 केवी

#### (I) घरेलू सेवा (अनुसूची डीएस/एचटी-1)

#### (ए) प्रयोज्यता

किसी भी प्रकार के संस्थापन की आवासीय कॉलोनियों को वास्तविक घरेलू उपयोग जैसे प्रकाश, पंखे, रेडियो, टेलीविजन, हीटर, कुकर, रेफ्रीजरेटर्स तथा पम्पों, ग्राइन्डर्स और अन्य घरेलू उपकरणों हेतु उपलब्ध है। जलापूर्ति हेतु पम्पिंग भार तथा अधिकतम पांच दुकानों का भार भी इस टैरिफ अनुसूची के अन्तर्गत अनुमत होगा।

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता अपनी संविदा मांग 50 केवीए से कम भी रख सकता है।

### टिप्पणी :

- (i) उपरोक्त सार्वजनिक सड़को द्वारा पृथक न किए गए सुसंहत (काम्पेक्ट) क्षेत्रों में संस्थापनों पर प्रयुक्त होगा।
- (ii) यदि किसी उपभोक्ता की एक परिसर में, जोधपुर डिस्कॉम की सुविधा हेतु एक से अधिक आपूर्ति बिन्दु हैं, तो विपत्रण के प्रयोजन से ऐसे सभी बिन्दुओं का उपभोग जोड़ा जाएगा।
- (iii) आन्तरिक वितरण तंत्र उपभोक्ता द्वारा धारित व संधारित होगा। मीटर रीडिंग, विपत्रण एवं राजस्व संग्रहण उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।

### (बी) सेवा की प्रकृति :

ईएचटी को छोड़कर, नीचे इंगित आपूर्ति वोल्टेज पर, ए.सी. 50 हर्ट्ज :-

(i) 1500 केवीए तक की संविदा मांग के लिए	11 केवी
(ii) 1500 केवीए से अधिक संविदा मांग के लिए	33 केवी

### (सी) प्रभारों की दर :

(1) स्थायी प्रभार	विपत्रण मांग का 170 रु प्रति केवीए प्रतिमाह तथा
(2) ऊर्जा प्रभार	550 पैसे प्रति यूनिट

उपभोक्ता अपनी संविदा मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि वह किसी माह विशेष में संविदा मांग के 105% से अधिक मांग करता है, तो विच्छेदित किए जाने के अतिरिक्त, उसे स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का उसी प्रतिशतता में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता में मांग वास्तव में अधिक की गयी है।

### उदाहरण

यदि संविदा मांग 1000 केवीए है, और किसी माह में वास्तविक मांग 1200 केवीए हुयी है, तो उस माह के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का अतिरिक्त प्रभार 20 प्रतिशत होगा।

### टिप्पणी :-

- (i) केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियों के घरेलू कनेक्शनों के लिए "ऊर्जा प्रभार" पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लेकिन जहां ब्लॉक घण्टों से अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है, तो 10 प्रतिशत की छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- (ii) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी।
- (iii) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यक्षीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- (iv) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (v) यदि उपभोक्ता जोधपुर डिस्कॉम द्वारा अनुमति के पश्चात् "सौर जल उष्मक तंत्र" का अधिष्ठापन तथा प्रयोग करता है तो ऊर्जा प्रभारों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 300 रु. प्रतिमाह के अध्यक्षीन 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
- (vi) जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण लगा सकता है और ऐसे मामले में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति हेतु अभिलिखित विद्युत उपभोग तथा मांग में 3 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।

**(डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :**

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है, तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001(0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%)के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है, तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

**(II) अघरेलू सेवा (अनुसूची एनडीएस/एचटी-2)**

**(ए) प्रयोज्यता :**

इस अनुसूची में निम्नांकित वे सभी श्रेणियाँ शामिल होंगी जो भाग-11 की अन्य टैरिफ अनुसूचियों द्वारा आवृत नहीं हैं :-

डीएस/एचटी-1,	एमपी/एचटी-3,
एम एल/एचटी-4,	एलपी/एचटी -5,

तथा इसमें वाणिज्यिक और अघरेलू संस्थानों जैसे दुकानें, व्यापार घर, सार्वजनिक पूजास्थल, घरेलू श्रेणी (अनुसूची डीएस/एलटी-1) के अन्तर्गत न हुये समस्त छात्रावास, धर्मशालाएं जो पंजीकृत धर्मार्थ न्यासों या समितियों द्वारा संचालित नहीं है और जहां पर आवास, जल व विद्युत की सुविधा निशुल्क उपलब्ध नहीं करवाई जाती है,

होटल, रेस्टोरेन्ट, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, गैरेज, ऑडिटोरियम, सिनेमाघरों के लिए रोशनी, पंखों, तापन एवं पावर उपकरणों हेतु विद्युत आपूर्ति शामिल है।

शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, उपचर्यागृह (नर्सिंग होम), औषधालयों और निदानगृह (क्लीनिक) जो सरकार या सरकार के अभिकरणों द्वारा संधारित व संचालित नहीं किए जाते हैं, समस्त टेलीफोन सेवा प्रचालक (भारत संचार निगम लिमिटेड या अन्य कोई), संलग्न कार्यालयों सहित टेलीफोन/मोबाइल एक्सचेंजों/स्विचज, रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन स्टेशन तथा उनके ट्रान्समीटर (सरकार/सरकारी उपक्रमों द्वारा संचालित सहित) विवाह स्थल, जोजोबा खेती, गौशालाएं एवं नर्सरी आदि तथा आवासीय परिसर का ऐसा हिस्सा, जो व्यापार करने या इन वाणिज्यिक तथा अघरेलू संस्थापनों की किन्ही अन्य गतिविधियों के उपयोग में लिया जाता है तथा अधिवक्ताओं के कार्यालय, जो उनके स्वयं के निवास पर अवस्थित नहीं है, को भी यह उपलब्ध है।

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता उसकी संविदा मांग 50 केवीए से कम भी रख सकता है।

**(बी) सेवा की प्रकृति**

नीचे इंगित आपूर्ति वोल्टेज पर, ए.सी. 50 हर्टज :-

(i)	1500 केवीए तक संविदा मांग हेतु	एच टी, 11 केवी
(ii)	1500 केवीए से अधिक तथा 5000 केवीए तक संविदा मांग हेतु	एच टी, 33 केवी
(iii)	5000 केवीए से अधिक संविदा मांग हेतु	ईएचटी, 132 केवी या 220 केवी

**(सी) प्रभारों की दर :**

(1)	स्थायी प्रभार:	विपत्रण मांग का 170 रु प्रति केवीए प्रतिमाह तथा
(2)	ऊर्जा प्रभार	745 पैसे प्रति यूनिट

उपभोक्ता अपनी संविदा मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि वह किसी माह विशेष में संविदा मांग के 105% से अधिक मांग करता है, तो विच्छेदित किए जाने के अतिरिक्त, उसे स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का

उसी प्रतिशतता में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता में मांग वास्तव में अधिक की गयी है।

#### उदाहरण

यदि संविदा मांग 1000 केवीए है, और किसी माह में वास्तविक मांग 1200 केवीए हुयी है, तो उस माह के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का अतिरिक्त प्रभार 20 प्रतिशत होगा।

#### टिप्पणी:-

- (i) "जोजोबा खेती" के लिए सम्पूर्ण उपभोग इस अनुसूची के अन्तर्गत अन्य उपभोक्ताओं के लिए प्रयोज्य ऊर्जा प्रभारों की आधी दर पर प्रभारित किया जाएगा। तथापि, स्थायी प्रभार सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा।
- (ii) 'गौशालाओं' का सम्पूर्ण उपभोग सामान्य घरेलू सेवा के ऊर्जा प्रभारों की आधी दर पर तथा सामान्य घरेलू सेवा (डीएस/एलटी-1) का पूरा स्थायी प्रभार प्रभारित किया जाएगा।
- (iii) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- (iv) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यधीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- (v) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।

(vi) जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण लगा सकता है और ऐसे मामले में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति हेतु अभिलिखित विद्युत उपभोग तथा मांग में 3 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।

#### (डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001 (0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001 (0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

#### (III) मध्यम औद्योगिक सेवा (अनुसूची एमपी/एचटी-3)

##### (ए) प्रयोज्यता :

यह टैरिफ 25 एचपी (18.65 कि.वा.) से अधिक परन्तु 150 एचपी (112 कि.वा.) तक के कुल स्वीकृत सम्बद्ध भार एवं/या 125 केवीए से अनधिक संविदा/अधिकतम मांग वाले औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं, मुद्रण यंत्रों (प्रिंटिंग प्रेसों), सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं, हेचरीज, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा जलापूर्ति



तथा सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जलदाय तथा न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति, रिसाव (सीपेज) जल का इ.गां.न. प. द्वारा वापस पम्पिंग, हस्तशिल्प, वस्त्रोद्योग, रंगाई व छपाई उद्योग, शीतागार, सॉफ्टवेयर इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों व उद्देश्यों के साथ कम्पनीज् अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा अथवा वे जो सूचना प्रौद्योगिकी हेतु राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के यहां राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा आटा चक्कियों पर भी प्रयोज्य होगी।

तथापि, इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता अपनी संविदा मांग 50 केवीए से कम भी रख सकता है।

**(बी) सेवा की प्रकृति :**

एचटी, 11 केवी

**(सी) प्रभारों की दर:**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. स्थायी प्रभार  | विपत्रण मांग का 150 रुपये प्रति केवीए प्रति माह तथा |
| 2. विद्युत प्रभार | 625 पैसे प्रति यूनिट                                |

- (i) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान पर अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यधीन होगी। तथापि, विलम्ब से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।
- (ii) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।

(iii) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी

(iv) उपभोक्ता अपनी संविदा मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि वह किसी माह विशेष में संविदा मांग के 105% से अधिक मांग करता है, तो विच्छेदित किए जाने के अतिरिक्त, उसे स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का उसी प्रतिशतता में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता में मांग वास्तव में अधिक की गयी है।

तथापि, यदि किसी वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक मांग 125 केवीए से अधिक हो जाती है, तो फिर उपभोक्ता को एक (1) महीने के नोटिस के बाद टैरिफ अनुसूची एलपी/एचटी-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित/विपत्रित किया जायेगा तथा उपभोक्ता को परिवर्तित अनुसूची के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए विपत्रित किया जायेगा।

**उदाहरण**

यदि संविदा मांग 100 केवीए है, और किसी माह में वास्तविक मांग 120 केवीए हुयी है, तो उस माह के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का अतिरिक्त प्रभार 20 प्रतिशत होगा।

**टिप्पणी :**

(i) जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण लगा सकता है और ऐसे मामले में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति हेतु अभिलिखित विद्युत उपभोग तथा मांग में 3 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।

**(डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :**

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01 (1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001 (0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001 (0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

**(IV) मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति (अनुसूची एम एल/एचटी-4)**

**(ए) प्रयोज्यता :**

समाज कल्याण विभाग या अन्य किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा अपंजीकृत/से अमान्यता प्राप्त अनाथाश्रमों, कुष्ठ रोगी गृहों, यतीमखानों, सरकार या सरकार के अभिकरणों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं, रेलवे, सरकार/स्थानीय निकायों के सार्वजनिक उद्यान/उपवन (पार्को), छावनियों, प्रतिरक्षा संस्थापनों, हवाईअड्डों को तथा सरकार/सरकार के अभिकरणों/रेडक्रास सोसायटियों द्वारा संचालित अस्पतालों, औषधालयों, निदानगृहों, उपचर्या गृहों को रोशनी, तापन (हीटिंग), पम्पिंग, औद्योगिक तथा पथ प्रकाश आदि हेतु उपलब्ध है।

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता अपनी संविदा मांग 50 केवीए से कम भी रख सकता है।

**टिप्पणी :**

- (i) उपरोक्त, सार्वजनिक सड़कों द्वारा पृथक न किए गए सुसंहत क्षेत्रों में सस्थापनों पर प्रयुक्त होगा।
- (ii) यदि किसी उपभोक्ता की एक परिसर में, जोधपुर डिस्कॉम की सुविधा हेतु एक से अधिक आपूर्ति बिन्दु हैं, तो विपत्रण के प्रयोजन से ऐसे सभी बिन्दुओं का उपभोग जोड़ा जाएगा।

(iii) आन्तरिक वितरण तंत्र उपभोक्ता द्वारा धारित व संधारित होगा। मीटर रीडिंग, विपत्रण एवं राजस्व संग्रहण उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।

(iv) यदि इस श्रेणी में से किसी विशेष प्रकार के भार को अलग किया जाता है तो उसे सुसंगत श्रेणी के अन्तर्गत विपत्रित किया जायेगा। यदि बचे हुए भार में कोई एक प्रकार का भार सर्वाधिक (प्री-डोमीनेंट) अर्थात् 75% या अधिक है, तो सर्वाधिक भार के लिए प्रयोज्य टैरिफ प्रयुक्त की जाएगी। तथापि, यदि कोई सर्वाधिक भार नहीं है तो बचे हुए भार पर मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति की टैरिफ प्रयुक्त की जायेगी।

**(बी) सेवा की प्रकृति :**

नीचे इंगित आपूर्ति वोल्टेज पर, ए.सी 50 हर्ट्ज

(i)	1500 केवीए तक संविदा/अधिकतम मांग	—	एच टी, 11 केवी
(ii)	1500 केवीए से अधिक तथा		
	5000 केवीए तक संविदा/अधिकतम मांग	—	एच टी ,33 केवी
(iii)	5000 केवीए से अधिक संविदा/अधिकतम मांग		ईएचटी,132 केवी या 220 केवी

**(सी) प्रभारों की दर :**

1. स्थायी प्रभार विपत्रण मांग का 150 रु. प्रति केवीए प्रतिमाह तथा
  2. ऊर्जा प्रभार 625 पैसे प्रति यूनिट
- (i) मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ताओं के मामले में जोधपुर डिस्कॉम की अदत्त देयताओं पर 2% (दो प्रतिशत) की दर से विलम्ब से भुगतान का अधिभार लिया जाएगा। द्वि-मासिक विपत्रित उपभोक्ताओं के लिए विलम्ब से भुगतान का अधिभार 4% (चार प्रतिशत) की दर पर लिया जाएगा। यदि द्वि-मासिक रूप से विपत्रित उपभोक्ता, नकद से भुगतान के लिए नियत की गयी तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देता है तो उसे उसके अगले विपत्र में विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के 2% (दो प्रतिशत) विलम्ब से भुगतान के अधिभार का समायोजन अनुज्ञात किया जाएगा। अदत्त राशि अगले विपत्र में जोड़ी जाएगी तथा विलम्ब से भुगतान पर अधिभार के अध्यक्षीन होगी। तथापि, विलम्ब

से भुगतान के अधिभार की राशि पर विलम्ब से भुगतान का अधिभार नहीं लगेगा।

- (ii) जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- (iii) यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- (iv) उपभोक्ता अपनी संविदा मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि वह किसी माह विशेष में संविदा मांग के 105% से अधिक मांग करता है तो विच्छेदित किए जाने के अतिरिक्त उसे स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का उसी प्रतिशतता में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता में मांग वास्तव में अधिक की गयी है।

#### उदाहरण

यदि संविदा मांग 1000 केवीए है, और किसी माह में वास्तविक मांग 1200 केवीए हुयी है, तो उस माह के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का अतिरिक्त प्रभार 20 प्रतिशत होगा।

#### टिप्पणी :

जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण लगा सकता है और ऐसे मामले में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति हेतु अभिलिखित विद्युत उपभोग तथा मांग में 3 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।

#### (डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :

इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90 (90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01(1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01 (1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001(0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001(0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

#### (V) वृहत् औद्योगिक सेवा (अनुसूची एलपी/एचटी-5)

#### (ए) प्रयोज्यता

150 एचपी से अधिक स्वीकृत सम्बद्ध भार तथा/या 125 केवीए से अधिक संविदा मांग वाले वृहत् औद्योगिक उपभोक्ताओं, मुद्रण यन्त्रों, सरकारी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं, भारतीय तेल निगम/ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम आदि के पम्पिंग स्टेशनों, मैट्रो तथा रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) भार, हेचरीज, रीको औद्योगिक क्षेत्रों में रीको द्वारा जलापूर्ति तथा सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जलदाय तथा न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा जलापूर्ति, रिसाव (सीपेज) जल का इ.गां.न. प. द्वारा वापस पम्पिंग, हस्तशिल्प, वस्त्रोद्योग, रंगाई व छपाई उद्योग, शीतागार, सॉफ्टवेयर इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी के लक्ष्यों व उद्देश्यों के साथ कम्पनीज् अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा अथवा वे जो सूचना प्रौद्योगिकी हेतु राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग के यहाँ राजस्थान सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा आटा चक्कियों के लिए उपलब्ध हैं।

तथापि, इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता उसकी संविदा मांग 125 केवीए से कम भी रख सकता है।

**(बी) सेवा की प्रकृति :**

क्र.सं.	संविदा मांग	आपूर्ति के वोल्टेज
1.	1500 केवीए तक	एचटी 11 केवी
2.	1500 केवीए से अधिक 5000 केवीए तक	एचटी 33 केवी
3.	5000 केवीए से अधिक	ईएचटी 132केवी या 220 केवी

**(सी) प्रभारों की दर:**

1.	स्थायी प्रभार	विपत्रण मांग का 170 रूपये प्रति केवीए प्रति माह तथा
2.	ऊर्जा प्रभार	650 पैसे प्रति यूनिट

**टिप्पणी :**

- उक्त दर निवल है। मासिक विपत्र का भुगतान विपत्र पर निर्धारित अवधि में पूरा न किए जाने की दशा में 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) प्रतिदिन की दर से, विपत्र की अदत्त राशि पर, अदत्त राशि का पूर्ण भुगतान किए जाने तक, विलम्ब से भुगतान का अधिभार उद्ग्रहित किया जाएगा।
- जहां भुगतान विपत्र की नियत तिथि से सात (7) कार्य दिवस पूर्व प्राप्त हो जाता है, तो ऊर्जा प्रभारों एवं स्थाई प्रभारों का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन उसके अगले विपत्र में अनुज्ञात किया जायेगा।
- यदि कोई उपभोक्ता पूर्वदत्त मीटरिंग तन्त्र के लिए विकल्प देता है, तो 10 पैसे प्रति इकाई की छूट दी जायेगी
- उपभोक्ता अपनी संविदा मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि वह किसी माह विशेष में संविदा मांग के 105% से अधिक मांग करता है, तो विच्छेदित किए जाने के अतिरिक्त उसे स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का उसी प्रतिशतता में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता में मांग वास्तव में अधिक की गयी है। तथापि, यदि किसी माह के दौरान आधा घण्टे की अवधि में अधिकतम मांग एक बार अधिक हो जाती है और मांग संविदा मांग के 110 प्रतिशत के अन्दर-अन्दर रहती है, तो कोई भी अधिक मांग प्रभार प्रभारित नहीं किया जायेगा। यह इस तथ्य पर आधारित है कि मीटर में आधे घण्टेवार आंकड़े एकत्रित होते हैं और यह ज्ञात किए जाने को सम्भव बनाने के लिए

कि कितनी बार ऐसी अधिक मांग की गई, एमआरआई के माध्यम से पुनः प्राप्त किए जाते हैं।

**उदाहरण**

यदि संविदा मांग 1000 केवीए है और किसी माह में वास्तविक मांग 1200 केवीए हुयी है, तो उस माह के स्थायी और ऊर्जा प्रभार (विद्युत कर तथा अन्य प्रभारों, यदि कोई है, को छोड़कर) का अतिरिक्त प्रभार 20 प्रतिशत होगा।

- रेलवे कर्षण भार के लिए किसी विद्युतीकृत खण्ड के सम्बन्धित मार्ग के समानान्तर विभिन्न सब-स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक मीटरों द्वारा आधे घण्टेवार अभिलिखित मांग एकीकृत होगी तथा ऐसी एकीकृत अधिकतम मांग विपत्रण मांग के परिकलन हेतु उपयोग में लाई जाएगी, जो एकीकृत अधिकतम मांग या रेलवे खण्ड के अधिसूचित मार्ग के समानान्तर सभी सब-स्टेशनों की संविदा मांग के योग की 75 प्रतिशत, जो भी उच्चतर है, होगी। विद्युतीकृत खण्ड के मार्ग, रेलवे प्राधिकारियों द्वारा सूचित किए जाएंगे।
  - 17.12.2004 के बाद रेलवे के नये विद्युत खण्डों पर उपभोगित विद्युत के ऊर्जा प्रभारों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट विद्युतीकरण होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी, जिसके पश्चात् सामान्य कर्षण टैरिफ प्रभारित की जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान में मेट्रो रेल सेवाओं द्वारा उपभोगित ऊर्जा पर विद्युतीकरण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा प्रभारों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, जिसके पश्चात् सामान्य कर्षण टैरिफ प्रभारित की जायेगी।
  - मेट्रो का गैर-कर्षण भार, पृथक् कनेक्शन दिये जाने के बाद, उस भार के लिए यथा प्रयोज्य सम्बन्धित श्रेणियों के अन्तर्गत विपत्रित किया जायेगा।
  - जोधपुर डिस्कॉम अपने विवेकानुसार उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज साइड पर मीटरिंग उपकरण लगा सकता है और ऐसे मामले में ट्रांसफॉर्मेशन हानियों की पूर्ति हेतु अभिलिखित विद्युत उपभोग तथा मांग में 3 प्रतिशत जोड़ा जाएगा।
- (डी) पावर फैक्टर उपाबन्ध :**
- इस अनुसूची के अन्तर्गत उपभोक्ता 0.90 (90%) से कम का औसत पावर फैक्टर संधारित नहीं करेंगे। यदि औसत पावर फैक्टर 0.90

(90%) से नीचे रहता है, तो 0.90 (90%) से पावर फैक्टर कम होने पर प्रत्येक 0.01 (1%) की कमी के लिए 1% की दर से ऊर्जा प्रभारों पर पावर फैक्टर अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.95 (95%) से अधिक है तो 0.95 (95%) से ऊपर प्रत्येक 0.01(1%) की उन्नति के लिये ऊर्जा प्रभार पर 1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

तथापि, जहां उपभोक्ता के परिसर पर मीटर अधिष्ठापना सीईए (मीटरों की अधिष्ठापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप है तो उपभोक्ता को औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से कम संधारित नहीं करना होगा। औसत पावर फैक्टर 0.900 (90.0%) से नीचे रहने के मामले में औसत पावर फैक्टर में प्रत्येक 0.001(0.1%) की कमी हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का अधिभार लिया जाएगा। यदि औसत पावर फैक्टर 0.950 (95.0%) से ऊपर रहता है तो प्रत्येक 0.001 (0.1%) के सुधार हेतु ऊर्जा प्रभार पर 0.1% का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

यदि औसत पावर फैक्टर 0.70 (70%) से नीचे चला जाता है तो अधिष्ठापन का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाएगा और जोधपुर डिस्कॉम के संतोषण तक औसत पावर फैक्टर में सुधार होने तक पुनर्संयोजित नहीं किया जाएगा।

### भाग – III

## अस्थायी आपूर्ति हेतु शुल्क दर (टैरिफ)

### (ए) प्रयोज्यता

1. अस्थाई कनेक्शन सार्वजनिक पथ प्रकाश तथा कृषि श्रेणियों के लिए नहीं दिए जायेंगे।
2. अस्थाई आपूर्ति पहलीबार में एक महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी परन्तु आपूर्ति में, आगे और प्रत्येक अवसर पर एक माह से अनधिक अवधि के लिए अभिवृद्धित अवधि की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निक्षेप (राशि) का संग्रहण कर, वृद्धि की जा सकती है। निर्माण कार्यों हेतु कनेक्शन लम्बी अवधि के लिए भी स्वीकृत किया जा सकता है।
3. जहां अस्थाई आपूर्ति की आवश्यकता मेले, प्रदर्शनी, भ्रमणशील सिनेमा, सर्कस, इत्यादि के लिए है, तो वह पहली बार में ही अनुज्ञापत्र / अनुमति की वैधता अवधि या चाही गयी अवधि, जो भी कम है, के लिए स्वीकृत की जाएगी।
4. विद्युत मीटर, उन वितरण मुख्यां (डिस्ट्रीब्युशन मेन्स) पर लगाए जाएंगे, जहां से अस्थाई कनेक्शन के लिए सेवा लाइन टैप की गयी।
5. किसी भवन के निर्माण के लिए, जहां निर्माण की अवधि एक वर्ष से अधिक है और आवेदक स्थाई कनेक्शन लेना चाहता है तो फिर सम्बन्धित श्रेणी के अन्तर्गत, स्थाई कनेक्शन दिया जा सकता है। तथापि, एलटी घरेलू एवं एलटी अघरेलू श्रेणी के अन्तर्गत विद्यमान उपभोक्ता, अपने स्थाई कनेक्शन से उसके स्वीकृत सम्बद्ध भार के 25 प्रतिशत तक की आपूर्ति का उपयोग कर सकता है। यह सुविधा भवन समूह के निर्माण हेतु तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को उपलब्ध नहीं होगी।

### (बी) सेवा की प्रकृति :

“विद्युत आपूर्ति हेतु दरें –2015” के भाग I एवं भाग II के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों को स्थाई आपूर्ति के सदृश के लिए यथाविहित :

(सी) प्रभारों की दर

- (1) घरेलू सेवा सदृश स्थायी आपूर्ति के अन्तर्गत स्थायी प्रभार + ऊर्जा प्रभारों की उच्चतम स्लैब + दोनों का 50%
- (2) अघरेलू सेवा सदृश स्थायी आपूर्ति के अन्तर्गत स्थायी प्रभार + ऊर्जा प्रभारों की उच्चतम स्लैब + दोनों का 50%
- (3) एलटी औद्योगिक सेवा (उत्पादन/निर्माण के प्रयोजनों के लिए) अनुसूची एसपी/एलटी-5 या एमपी/एलटी-6 हेतु सदृश स्थायी आपूर्ति के अन्तर्गत टैरिफ + 50%
- (4) एचटी औद्योगिक सेवा (उत्पादन/निर्माण के प्रयोजनार्थ) सदृश स्थायी आपूर्ति हेतु टैरिफ+50%
- (5) मिश्रित भार हेतु प्रपुंजापूर्ति सदृश स्थायी आपूर्ति हेतु टैरिफ+50%

**टिप्पणी :**

- (i) इस आपूर्ति के अन्तर्गत उपरोक्त मद 3 एवं 4 में फ़ैक्ट्री लाइटिंग हेतु पृथक् से मीटरिंग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आवासीय क्वार्टरों/अस्थाई आवासीय शोडों के उपभोग को पृथक् से मीटरित तथा टैरिफ अनुसूची डीएस/एलटी-1 के अन्तर्गत सदृश स्थाई आपूर्ति + 50 प्रतिशत पर उपरोक्त मद (1) के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।
- (ii) ऐसे उपभोक्ता जो 400 वोल्टस, थ्री फेज ए सी पर आपूर्ति किए जाने के हकदार हैं, यदि एचटी पर आपूर्ति चाहते हैं, तो वह पूर्णतः जोधपुर डिस्कॉम के विवेक पर अनुमत की जाएगी। ऐसे उपभोक्ता को विपत्रित राशि (स्थाई प्रभार + ऊर्जा प्रभार) पर 7.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नोट:—भाषान्तरण में आशय की भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी भाषा का आदेश ही मान्य होगा।

आज्ञा से,  
ह.  
(एम.आर. विश्वाजी)  
मुख्य अभियन्ता (पीसी-सी एंड पी)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

**Government of Rajasthan**

**Energy Department**

No.F.23(2) Energy/2009

Dated: 25.02.2015

**ORDER**

Whereas under the provisions of Electricity Act, 2003, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission has revised the rates of retail supply of electricity to various classes of consumers vide its order dated 20.2.2015.

And whereas the State Government in the public interest has decided to grant subsidy to various classes of consumers so that they are not charged the tariff to the extent of increase made by RERC.

Therefore, the State Government under the provisions of Electricity Act, 2003, hereby grants subsidy to BPL consumers, Small Domestic Consumers and Agricultural consumers on the tariff determined by Rajasthan Electricity Regulatory Commission as enumerated in the enclosed Annexure-A.

The State Government will pay such subsidy to all the three Distribution licencees which are State owned Companies i.e. Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd. and Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd. for the amount and in the manner as may be specified by the Rajasthan Electricity Regulatory Commission under the provisions of Sections 65 of the Electricity Act, 2003.

This issues with the concurrence of Finance Department vide ID No.101500746 dated 25.2.2015.

By order,  
Sd/-  
**(Sanjay Malhotra)**  
Pr. Secretary to Government

**1. Domestic Category(BPL)**

Particulars	Existing Tariff/Subsidy			Proposed Tariff/Subsidy				
	EC	Subsidy (GoR)	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges	EC	Subsidy (GoR)	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges
BPL								
Consumption up to first 50 units per month	Rs.2.75/ unit	Rs.1.90/ unit	Rs.0.85/ unit	Rs.80/ connection/ month (effective FC Rs.50/ connection/ month after subsidy of Rs.30/ connection/ month)	Rs.3.25/ unit	Rs.1.90/ unit	Rs.1.35/ unit	Rs.90/ connection/ month (effective FC Rs.60/ connection/ month after subsidy of Rs.30/ connection/ month)

**Small Domestic (Consumption up to 50 units/month)**

Particulars	Existing Tariff/Subsidy			Proposed Tariff/Subsidy				
	EC	Subsidy	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges	EC	Subsidy	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges
Small Domestic								
Consumption up to 50 units per month	Rs.3.00/ unit	Rs.1.30/ unit	Rs.1.70/ unit	Rs.80/ connection/ month	Rs.3.50/ unit	Rs.1.30/ unit	Rs.2.20/ unit	Rs.90/ connection/ month

**2. Agriculture Metered (Ag./MS/LT -4)**

Particulars	Existing Tariff/Subsidy			Proposed Tariff/Subsidy				
	EC	Subsidy	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges	EC	Subsidy	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges
(i) General (getting supply in block hours)	Rs.3.93/ unit	Rs.3.03/ unit	Rs.0.90/ unit	Rs.15/ HP/ month of sanctioned load maximum Rs 250/ month/ consumer(Subsidy above Rs 45/ connection / month)	Rs.4.50/ unit	Rs.3.03/ unit	Rs.1.47/ unit	Rs.15/ HP/ month of sanctioned connected load (Subsidy above Rs 45/ connection / month subject to maximum Rs 205/ connection /month) Note:- As per existing subsidy.

(ii) All others not covered under items (i) and getting supply more than block hours.	Rs.4.95/ unit	Rs.2.85/ unit	Rs.2.10/ unit	Rs.30/ HP/ month of sanctioned connected load maximum Rs 500/ month/ consumer (Subsidy above Rs 50/ connection / month)	Rs.5.70/ unit	Rs.2.85/ unit	Rs.2.85/ unit	Rs.30/ hp/ month of sanctioned connected load (Subsidy above Rs 50/ connection / month subject to maximum Rs 450/ connection/ month) Note:- As per existing subsidy.
---	---------------	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	---

**Agriculture Flat/Unmetered (AG/FR/LT -4)**

Particulars	Existing Tariff/Subsidy			Proposed Tariff/Subsidy				
	EC	Subsidy	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges	EC	Subsidy	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges
(i) General (getting supply in block hours)	Rs.500/ HP/ month	Rs.415/ HP /month	Rs.85/ HP/ month	Rs.15/ HP/ month of sanctioned connected load maximum Rs 250/ month/ consumer(subsidy above Rs 15/ connection / month)	Rs.600/ HP/ month	Rs.415/ HP/ month	Rs.185/ HP/ month	Rs.15/ hp/ month of sanctioned connected load (subsidy above Rs 15/ connection / month subject to maximum subsidy Rs 235/ connection / month) Note:- As per existing subsidy.
(ii) All others not covered under items (i) and getting supply more than block hours.	Rs.600/ HP/ month	Rs.370/ HP /month	Rs.230/ HP/ month	Rs.30/ HP/ month of sanctioned connected load maximum Rs 500/ month/ consumer (subsidy above Rs 20/ connection / month)	Rs.720/ HP/ month	Rs.370/ HP /month	Rs.350/ HP/ month	Rs.30/ HP/ month of sanctioned connected load (subsidy above Rs 20/ connection / month subject to maximum Rs 480/ connection / month) Note:- As per existing subsidy.

Note: 1% Subsidy on amount of shunt capacitor surcharge will continue as usual to general category of agriculture metered & flat rate consumers.

**OFFICE OF THE CHAIRMAN DISCOMS**

**AVVNL, JVVNL, JD.VVNL**

**VIDHYUT BHAWAN, JYOTINAGAR, JAIPUR-5**

No.JPD/SE(RA)/F.RA-I/D.87 Jaipur, dated 27.04.2015

The Principal Secretary to Govt.  
Energy Department  
Govt. of Rajasthan,  
Jaipur.

Sub.: Subsidy component to Agriculture tariff for retail supply of electricity and RERC tariff order dated 20.02.15.

Sir,

Hon'ble Chief Minister, GoR has announced that Government shall pay the subsidy to agriculture consumer so that they will not pay the increased electricity tariff as decided by RERC vide tariff order dated 20.2.15. The hike decided by Hon'ble RERC in respect of agriculture consumers shall be borne by Government in such a way that agriculture category consumers will continue to pay as prior to order dated 20.02.15. Detail of approved tariff as per tariff order 20.2.15 and tariff subsidy given by the Government and effective rate after subsidy is enclosed at Annexure-A.

As per tariff order dated 20.2.15 hike in agriculture category is Rs.1387.00 crores per annum for all the three Discoms. Discom wise detail is as under:-

<b>Name of Discom</b>	<b>Amount(Rs. In crores)</b>
Jaipur	436.00
Ajmer	368.00
Jodhpur	583.00
<b>Total</b>	<b>1387.00</b>

It is therefore, requested to kindly arrange to provide subsidy of Rs.1387crores for the financial year 2015-16 and Rs.231crores for the financial year2014-15(Feb. & March) and LPS/DPS element under Section 65 of Electricity Act-2003 so that this hike may not be demanded in the consumer bills. Further consumers who have already deposited the amount on the basis of hike, will be given credit in their account as per above announcement of Hon'ble Chief Minister. Henceforth electricity bill to Ag. Consumers will be issued on the effective rate remained enforce prior to 20.02.15.

Yours sincerely

Sd-

**(Sanjay Malhotra)**

Chairman Discoms

Copy to the Principal Secretary(Finance), Govt. of Rajasthan, Jaipur for information & necessary action.

Sd-

Chairman Discom

Copy submitted to the Managing Director, Ajmer/Jodhpur Discom, Ajmer/Jodhpur with request that as per directions of the Chaiman Discoms bills to agriculture consumers may be issued immediately on the effective rate applicable prior to tariff order dated 20.2.15.

Sd-

**(K.L.Gupta)**

Officer on Special Duty(ATR)



Particulars		Approved Tariff		Particulars		Tariff to be paid by consumers and subsidy to be received from GOR w.e.f.01.02.2015	
Agriculture Supply	EC	Fixed Charges	Agriculture Supply	EC	Subsidy to be received from Govt.	Effective EC After Subsidy	Fixed Charges
(i) General (getting supply in block hours)	Rs.4.50 / unit	Rs.15/ HP/ month of SCL	(i) General (getting supply in block hours)	Rs.4.50/ unit	Rs.3.60/ unit	Rs.0.90/ unit	Rs.15/ HP/ month of sanctioned connected load (Subsidy above Rs 45/connection / month)
(ii) All others not covered under items (i) and getting supply more than block hours.	Rs.5.70 / unit	Rs.30/ HP/ month of SCL	(ii) All others not covered under items (i) and getting supply more than block hours.	Rs.5.70/ unit	Rs.3.60/ unit	Rs.2.10/ unit	Rs.30/ hp/ month of sanctioned connected load (Subsidy above Rs 50/ connection / month)
<b>Agriculture Unmetered (AG/FR/LT -4)</b>							
(i) General (getting supply in block hours)	Rs.600/ HP/ month	Rs.15/ HP/ month of SCL	(i) General (getting supply in block hours)	Rs.600/ HP/ month	Rs.515/ HP/ month	Rs.85/ HP/ month	Rs.15/ hp/ month of sanctioned connected load (subsidy above Rs 15/connection / month)
(ii) All others not covered under items (i) and getting supply more than block hours.	Rs.720/ HP/ month	Rs.30/ HP/ month of SCL	(ii) All others not covered under items (i) and getting supply more than block hours.	Rs.720/ HP/ month	Rs.490/ HP /month	Rs.230/ HP/ month	Rs.30/ HP/ month of sanctioned connected load (subsidy above Rs 20/connection / month)

Note: 1% Subsidy on amount of shunt capacitor surcharge will continue as usual to general category of agriculture metered & flat rate consumers.